प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 1 और 2** में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रेल के क्रमश: वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जांच से प्राप्त मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं।

अध्याय 3 में अनुदानों के लिए पूरक मांगों द्वारा आऊट ऑफ टर्न आधार पर नये निर्माण कार्यों को आरंभ करने की प्रणाली की प्रभावशीलता से संबंधित पहलू शामिल हैं।